05.12.24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उप.।

मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल हो।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवचेन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन पत्र के जरिये पक्षकारान के मध्य तरमीम दुरूस्तीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की इस्तदुआ में अपने कब्जे काश्त के तर्क प्रस्तुत करते हुए तद्नुसार शुद्विकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन में पाया गया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में तकासमा किये जाने हेतु भरे गये ना.क.स. या राजस्व रेकर्ड में यह प्रथम दृष्टया साबित करने में विफल रहे है कि पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त की स्थिति में भिन्नता किस स्तर से की गई है। नियमानुसा र राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्तीकरण में ऑनलाईन (सेग्रीकेशन) अथवा ऐसी कोई प्रविष्टियां जो कि नियमानुसार भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्ती योग्य प्रकरण उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार होने की स्थिति में संबंधित परगना अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) द्वारा सुना जा सकता है, परन्तु ऐसे मामलें जो कि बिना किसी ठोस कारणो/ बिना दस्तावेजी साक्ष्य–सबूतों के किसी भी पूर्व पारित आदेश/ निर्णय को सुना जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसे किसी भी प्रकरण के संबंध में रेकर्ड दुरूस्ती हेतु विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय में जरिये चुनौती के प्रतिपादित की जाती रही है।

उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण तत्समय जिस विधि से काबिज हुए उस विधि अथवा उसमें रही किसी त्रुटि सुधार की कार्यवाही के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिये अदालत में अपनी दलील को साबित करने में विफल रहे है, जिससे यह स्पष्ट होता हो, कि प्रकरण की विधिक कार्यवाही अथवा उसकी सुनवाई इस न्यायालय में किये जाने योग्य हो। ऐसी स्थिति में इस आवेदन की कार्यवाही इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में निहीत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:10 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन तथ्यहीन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी इस्तदुआ के अनुरूप सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मिणधरी